# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी : प्रभुदयाल शर्मा, आर0ए0एस0
प्रार्थना पत्र सं0 14/18
निर्णय दिनांक : 1-5-19

तहसीलदार कि0रेनवाल वनाम सुखाराम

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 सपठित 136 भू0राजस्व अधिनियम

## निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार कि0रेनवाल ने सहखातेदारों का हिस्सा शुद्वि बावत् एक प्रा0पत्र पेश किया जिसमें अंकित किया कि प्रा0पत्र सुखाराम पुत्र गोविन्दा जाति कुमावत नि0 कोढ़ी व पटवारी हल्का डयोढ़ी की जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम कोठी की चालू जमाबन्दी संवत् 2073–76 के खाता सं0 47 खं0नं0 235 रकबा 39 बीघा 6 विस्वा में गोरधनलाल, दानाराम पि0 काना, मन्नीदेवी पत्नि काना हि0 2/27, नानूराम पुत्र बालू हि0 2/27 अशुद्व हिस्सें के स्थान पर शुद्व हिस्सा 1/27, 1/27 करने का प्रा0पत्र प्रस्तुत है जिसमें जमाबन्दी संवत् 2049–52 ग्राम कोढी के खाता सं0 74 खं0नं0 235 रकबा 39 बीघा 6 विस्वा में बालू काना पि0 बिरमा हि0 2/27 दर्ज है परन्तु जमाबन्दी संवत् 2057 से 2060 के खाता सं0 80 खं0नं0 235 रकबा 39 बीघा 6 विस्वा में बालू काना पि0 बिरमा हि0 4/27 दर्ज हो गया जिसमें खाते का हिस्सा 1/1 से 2/27 अधिक हो गया जिसके कारण हिस्सा अशुद्व हो गया उसी अशुद्व हिस्सें से ही नामान्तकरण सं0 328 दिनांक 16.02.04 विरासत से काना पुत्र बिरमा कुम्हार की फौती पर गोरधन, लालाराम, दानाराम पि0 काना, मन्नीदेवी पत्नि काना कुम्हार हि0 2/27 स्वीकार का नोट अंकित है व नामान्तकरण सं0 341 दिनांक 25.02.05 विरासत से बालू पुत्र बिरमा की फौती पर नानूराम पुत्र बालूराम, भूरी, रूकमा, राधा पुत्रीया बालूराम हि0 2/27 सा0देह के नाम स्वीकार का नोट अंकित है जो जमाबन्दी संवत् 2049 से 2052 के खाता सं0 74 के अनुसार गलत हिस्सों में स्वीकार हुई है। चालू जमाबन्दी संवत् 2073–76 ग्राम कोढी के खाता सं0 47 में गोरधन पुत्र काना हि0 1/54 राहिन एस0बी0आई शाखा जोबनेर नानूराम पुत्र बालूराम हि0 2/27 दानाराम पुत्र कानाराम हि0 1/54 राहिन आई0सी0आई0सी0आई बैंक शाखा जोबनेर लालाराम पुत्र काना, मन्नदेवी पत्नि काना हि0 2/27 राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है परन्तु जमाबन्दी संवत् 2049 से 2052 के खाता सं0 74 व जमाबन्दी सं0 2057 से 2060 के खाता सं0 80 के अनुसार चालू जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के खाता सं0 47 खं0नं0 235 रकबा 39 बीघा 6 विस्वा में गोरधन पुत्र काना हि0 1/54 राहिन एस0बी0आई0 शाखा जोबनेर नानूराम पुत्र बालूराम हि0 2/27 दानाराम पुत्र कानाराम हि0 1/54 राहिन आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक शाखा जोबनेर लालाराम पुत्र काना, मन्नीदेवी पत्नि काना हि0 2/54 अशुद्व हिस्सें के स्थान पर गोरधन पुत्र काना हि0 1/108 राहिन शाख जोबनेर नानूराम पुत्र बालूराम हि0 1/27, दानाराम पुत्र कानाराम हि0 1/108 राहिन आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक शाखा जोबनेर लालाराम पुत्र काना, मन्नीदेवी पत्नि काना हि0 1/54 की अशुद्वि किया जाना अपेक्षित है।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सुखाराम की तरफ से वकील श्री अवधेश कुमार पारीक ने वकालतनामा व अप्रार्थी नानूराम, गोरधन, मन्नीदेवी, लालाराम, दानाराम की ओर से वकील श्री भंवरलाल वर्मा ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सुखराम की ओर से जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। उक्त जवाब प्रा0पत्र प्रारम्भिक आपतिया पेश हुयी नकल दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सुखाराम की ओर से दस्तावेज सूची के संलग्न दस्तावेजात पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

Scanned by CamScanner

पक्षकारान वकीलों की बहस सुनी गयी। पत्रावली व तहसीलदार कि0रेनवाल से प्रस्तुत रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अप्रार्थी रामेश्वर व गोरधन ने मुख्य रूप से यह आपत्ति प्रस्तुत की है कि विवादित आराजी के सम्बन्ध में उन्होनें एक वाद व स्थगन प्रा0पत्र न्यायालय सहायक कलक्टर सांभरलेक के यहा प्रस्तुत किया हुआ है जिसमें स्थगन आदेश जारी किया हुआ है साथ ही यह भी निवेदन किया कि नियमित वाद की सुनवाई तक समरी प्रोसिजिंग को रोक देना चाहिए तथा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत भी पेश किये। प्रार्थी सुखाराम की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि तहसीलदार कि0रेनवाल द्वारा यह प्रा0पत्र हिस्सा दुरूस्ती के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है क्योंकि सभी मातेदारों की आराजी का योग करने पर कुल भूमि एक यूनिट से अधिक होती है जो कि जमाबन्दीयों में सहवन से लिपिकीय त्रृटिवंश दर्ज होने से दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है साथ ही यह भी कथन किया कि विवादित खं0नं0 के सम्बन्ध में कोई वाद व स्थगन प्रा0पत्र न्यायालय में विचाराधीन नही है और न ही विवादित खं0नं0 पर किसी प्रकार का स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। धारा 10 सिविल प्रकिया संहिता के प्रावधान केवल वाद के सम्बन्ध में ही लागू होते है तथा विचारण प्रकरण 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया हुआ है जिस पर धारा 10 के प्रावधान लागू नहीं होते है वकील अप्रार्थी सुखाराम की ओर से अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

पक्षकारान वकीलों की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार कि0रेनवाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से यह तथ्य भली भांति सिद्व है कि खं0नं0 235 में गोरधन, लालाराम, दानाराम पि0 कानाराम, मन्नीदेवी पत्नि काना, नानूराम पुत्र बालू का हिस्सा राजस्व रिकोर्ड में लिपिकीय त्रृटिवंश 1/27–1/27 के स्थान पर 2/27–2/27 हिस्सा दर्ज हो गया। अप्रार्थी नानूराम वगै0 के द्वारा यह कथन किया जाना कि विवादित खं0नं0 के सम्बन्ध में वाद विचाराधीन है तथा स्थगन आदेश जारी है गलत है नानूराम वगै0 द्वारा प्रस्तुत वाद व प्रा0पत्र 212 की प्रति से स्पष्ट है कि इस खं0नं0 के सम्बन्ध में वाद विचारधीन नहीं है ओर न ही स्थगन जारी है तथा यहा यह भी स्पष्ट किया जाना न्यायसंगत है कि धारा 10 के प्रावधान वाद के सम्बन्ध में ही लागू होते है संक्षिप्त विचारण प्रकिया में धारा 10 के प्रावधान लागू नहीं होते है। पत्रावली के संलग्न पूर्व की जमाबन्दीयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अशुद्वि लिपिकीय त्रुटिवंश हुयी है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

अतः तहसीलदार कि0रेनवाल की ओर से प्रस्तुत प्रा0पत्र 136 एल0आर0ऐ0 का स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के खाता सं0 47 खं0नं0 235 रकबा 39 बीघा 6 विस्वा वाकै ग्राम कोढ़ी तह0 कि0रेनवाल में गोरधन पुत्र काना हिस्सा 1/54 राहिन एस0बी0आई बैंक शाखा जोबनेर नानूराम पुत्र बालूराम हि0 1/27, दानाराम पुत्र कानाराम हि0 1/54 राहिन आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक शाखा जोबनेर, लालाराम पुत्र काना, मन्नीदेवी पत्नि काना हि0 2/54 के स्थान पर गोरधन पुत्र काना हि0 1/108 राहिन एस0बी0आई0 बैंक शाखा जोबनेर, नानूराम पुत्र बालूराम हि0 1/27, दानाराम पुत्र कानाराम हि0 1/108 राहिन आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक शाखा जोबनेर, लालाराम पुत्र काना, मन्नीदेवी पत्नि काना हि0 1/54 दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

अतः आज दिनांक 1-5-18 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभरलेक